



कार्यालय मुख्य आयुक्त
Office of the Chief Commissioner
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur

फा. सं.: GCCO/II/3/TRAN/4/2026- ADMN

स्थापना आदेश सं.: 16/2026

दिनांक: ई-हस्ताक्षरित

मुख्य आयुक्त कार्यालय के स्थापना आदेश सं. CCU-39/2026 दिनांक 02.06.2026 के अंतर्गत निरीक्षक से अधीक्षक के पद पर पदोन्नत अधिकारियों के निम्नानुसार आवंटन/ पदस्थापना आदेश तत्काल प्रभाव से एवं अग्रिम आदेशों तक जारी किये जाते हैं:-

क्रम. सं.	अधीक्षक का नाम	जन्मतिथि	कहाँ से	कहाँ को
1.	Ms. Deepika Rani	16.11.1991	On promotion	CGST, Jodhpur
2.	Shri Bhanu Pratap Singh	01.07.1988	On promotion	CGST, Udaipur

2. दोनों अधिकारियों को तुरंत कार्यभारमुक्त कर निर्देशित किया जाए कि वे अपने नाम के सम्मुख दर्शाए गए आयुक्तालय में कार्यग्रहण करें।

यह आदेश मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर जोन की संस्वीकृति से जारी किये जा रहे हैं।

(उत्कर्ष)
संयुक्त आयुक्त

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर/ अलवर/ जोधपुर/ उदयपुर/ अंकेक्षण - जयपुर/ अंकेक्षण - जोधपुर/ अपील्स, जयपुर/ अपील्स, जोधपुर/ सीमा शुल्क (नि.), जोधपुर मु. जयपुर।
2. वेतन एवं लेखाधिकारी, सीजीएसटी एवं सीमा शुल्क, जयपुर।
3. सम्बंधित अधिकारी।
4. अधीक्षक संघ/ नोटिस बोर्ड/ गार्ड फ़ाइल।
5. वेबमास्टर - जोनल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर - 302005 (राजस्थान)

फोन : 0141-2385155; फैक्स : 0141-2385130, ईमेल : ccu-cexjpr@nic.in,

वेबसाइट: www.cgstjaipur.gov.in, ट्वीटर : @CGSTJAIPURZONE